न्यायालय–अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश, एस.सी./एस.टी. (अत्याचार निवारण)अधिनियम, भदोही–ज्ञानपुर।

जमानत प्रार्थना–पत्र संख्या–66/2026

उपस्थित :– (डॉ० अमित वर्मा) आई. डी –यू.पी.2412

UPSN010001742026

1– बसन्तलाल यादव उर्फ़ झल्लू उम्र लगभग 44 वर्ष पुत्र पंचमलाल यादव व 2–संतलाल उम्र लगभग 48 वर्ष पुत्र पंचमलाल यादव, निवासीगण पूरेसदभामा थाना सरायममरेज जिला प्रयागराज (इलाहाबाद)।

.......अभियुक्त

बनाम

उ०प्र० राज्य ....अभियोजन

अ०सं०–22/2024
धारा–147, 364, 323, 504, 506, 342, 395, 325, 201 आई. पी. सी. व धारा–3 (2)(5) एस.सी./एस.टी. एक्ट, थाना–दुर्गागंज, जिला–भदोही।

दिनांक 09.03.2026

1. नियमित जमानत प्रार्थना पत्र पेश हुआ। प्रार्थीगण / अभियुक्तगण बसन्तलाल यादव उम्र लगभग 44 वर्ष पुत्र पंचमलाल यादव व संतलाल उम्र लगभग 48 वर्ष पुत्र पंचमलाल यादव निवासीगण पूरेसदभामा थाना सरायममरेज जिला प्रयागराज (इलाहाबाद), द्वारा मु०अ०सं० 22 सन 2024,धारा–147, 364, 323, 504, 506 342, 395, 325, 201, आई. पी. सी. व 3 (2) (5) एस०सी०/एस०टी० एक्ट, थाना दुर्गागंज, जिला भदोही, के अभियोग में जमानतीय प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया।

2. प्रार्थीगण / अभियुक्तगण 20.01.2026 से न्यायालय के आदेश से आज तक अन्तरिम जमानत पर है। प्रार्थीगण / अभियुक्तगण द्वारा दिए गए आत्मसमर्पण प्रार्थना पत्र पर न्यायिक अभिरक्षा में लिया गया।

3. संक्षेप में अभियोजन कथानक अनुसार प्रार्थी विनोद कुमार गौतम पुत्र प्यारेलाल निवासी ग्राम बौरीबोझ डडिया) थाना दुर्गागंज जनपद भदोही का मूल निवासी है तथा अनुसूचित जाति (चमार) है तथा रोजी रोटी के वास्ते टैम्पू चलाता है, दिनाक 21.04.2024 को करीब 1.30 बजे दोपहर बाजार दुर्गागंज तिराहा पर गाड़ी खड़ी किया था इसी बीच छिनैती के नियत से विपक्षी संन्तलाल यादव व झल्लू लाल यादव व छोटेलाल यादव व मुन्ना यादव व सुनील कुमार यादव व भोला यादव व चन्दन यादव व नायब यादव व प्रसान्त यादव निवासीगण पुरेसतभामा, थाना सराय ममरेज, जनपद प्रयागराज, एक चार पहिया वाहन जिस पर मानवाधिकार लिखा हुआ था उक्त गाडी नम्बर यू0 पी0 44 बी0 एच 0 7731 लिखा हिआ था, से दुर्गागंज तिराहे पर आये और प्रार्थी को माँ बहन चमार सियार कि भद्दी–भद्दी गाली गुप्ता देने लगे, प्रार्थी ने गाली देने से मना किया तो इतने मे मुन्ना यादव, सन्तलाल यादव ने ललकारा कि चमार–सियार की जाति होकर जुबान लड़ाता है मारो साले को चमार सियार कहते हुए सभी विपक्षीगण लात मुक्का से मारने पीटने लगे, प्रार्थी चिल्ला रहा था इतने में विपक्षीगण प्रार्थी के मुंह में कपड़ा ठूंस कर घसीटते हुये अपनी गाड़ी में बैठाकर दुर्गागंज पोखरा पर ले गये, प्रार्थी का मोबाइल व

आधार कार्ड पैन कार्ड डी0 एल व गाड़ी का समस्त कागजात एवं 4500 रुपये छीन लिये प्रार्थी के भाई को मोबाइल नम्बर 6393529430 से पर सूचना मिली की तुम्हारे भाई को पुरेसतभामा वाले मार पीट रहे है, सूचना मिलने पर प्रार्थी के परिजन व भाई ओमप्रकाश व मनोज कुमार व अमन व आदर्श व नागेन्द्र कुमार व सर्वेश कुमार व भागीरथी आदि मौके पर पहुचे विपक्षीगण, प्रार्थी के परिजनों को भी मारने पीटने लगे और सभी का मोबाइल व एक पल्सर गाड़ी जिसका नम्बर यू0 पी0 66/9848 है व मोबाइल की संख्या– 6 है उक्त सामान छीनकर अपने पास रख लिये और विपक्षीगण ने धमकी दिया कि हम लोग मानवाधिकार के अधिकारी है सूचना कहीं दिया तो हम तुम लोगो को जान से मारकर फेंक देगे । प्रार्थी व प्रार्थी के परिजन की स्थिती काफी गम्भीर बनी हुई है, प्रार्थी व प्रार्थी के परिजनो कि उक्त पल्सर मोटर साईकिल व प्रार्थी का रेडमी मोबाईल नम्बर 7309438597, अमन कुमार का रेडमी मोबाईल टच जिनका मोबाईल नम्बर 7307477751, व ओमप्रकाश का मोबाईल सैमसंग टच 9919940393, सर्वेश कुमार का मोबाईल नम्बर 8376897575 व नागेन्द्र कुमार का रेडमी टच मोबाईल नम्बर 7275443293 व आदर्श का मोबाईल छोटा है। हम सभी परिजनों का मोबाईल व आधार कार्ड विपक्षीगण अपने कब्जे में रख लिये है, सामान मांगने पर देने को तैयार नहीं है। उक्त के सम्बन्ध में वादी मुकदमा द्वारा प्रार्थना पत्र पुलिस अधीक्षक जिला भदोही को प्रेषित किया गया था, जिसपर पुलिस अधीक्षक जिला भदोही के आदेश के अनुपालन में प्रथम सूचना रिपोर्ट अभियुक्तगण के विरुद्ध पंजीकृत की गई।

4. प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र में कथन किया गया है कि उपरोक्त मुकदमा में प्रार्थीगण को झूठे फसाया गया है प्रार्थीगण बेगुनाह है और कोई अपराध कारित नही किया है। यह कि झूठे तथ्यो के आधार पर उपरोक्त मुकदमा में प्रार्थीगण को अभियुक्त बनाया गया है। यह कि प्रार्थीगण द्वारा दिया जा रहा यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है इसके अलावा अन्य कोई जमानत प्रार्थनापत्र किसी भी न्यायालय में विचाराधीन नही है। यह कि दिनांक 21.04.2024 को प्रशान्त कुमार यादव के यहाँ शादी थी उनके घर के 2 बहने सुरियावा से आटो से आ रही थी जहाँ पर विनोद कुमार गौतम अपना आटो लेकर मिले और मुन्नी देवी व रीता देवी आटो रिजर्व कर अपने मायके आ रही थी कि रास्ते में एक महिला मिली जिसे हम लोग नही पहचानते थे और विनोद कुमार गौतम उसे बैठा लिये हम लोगो ने उसका विरोध किया तो उन्होने कहा कि महिला है आगे उतर जायेगी। यह कि अभियुक्त राजेन्द्र व मुन्ना उर्फ आशीष व सुनील कुमार व छोटेलाल उर्फ भोला पुत्र राजेन्द्र यादव की जमानत माननीय न्यायालय से स्वीकृत हो चुकी है। यह कि नियत स्थान पर गौरा में जब महिला नहीं उतरी तो हम लोगो ने कहा कि ये तो यही उतरने के लिये कही थे किन्तु क्यो नही उतर रही है। इस पर महिला आगे से उठकर पीछे जहाँ हम लोगो का सामान रखा हुआ था वहाँ पर जाकर बैठ गयी और आटो वाला अपना आटो लेकर दुर्गागंज तिराहे आया। हम लोग उनसे कहा कि हम यहीं तक रहेंगे आप लोग उतरकर जाईये तब हम लोगो ने उसे जो पैसा देकर और अपना बैग लेकर अपने मायके पूरेसदभामा के लिये चल दिया। यह कि हम लोग पूरेसदभामा जब पहुँची तो वहाँ पर शादी की तैयारिया हो रही थी तो हम लोगो ने भी अपना बैग खोलकर देखा तो उसमे हम लोगो का रकम और जो पैसा ली थी वह उसमे नही था वह रोने लगी तो घर वालो ने पूछा तो सारी बाते बताई इस पर मेरे भाई एक गाडी लेकर उसमें हमे बैठाकर तथा घर के 4–5 लोगो को लेकर दुर्गागंज तिराहे पर आये तो हम लोगो ने बताया कि यही आटो वाला था। इस पर प्रशान्त ने पूछा कि इन लोगो का

रकम और पैसा गायब हुआ है किस महिला को बैठाये थे इस पर वह कहा कि मैं किसी महिला को नही बैठाया था और हीला हवाली करने लगा इस पर मेरे भाई ने कहा कि तुम चलो बैठो और उसको दिखाओ इतने में उसने अपने घर वालो को फोन कर दिया उसके घर से 8–10 लोग आये जो हाथ मे डण्डा लिये हुये थे और मारपीट करने पर अमादा हो गये। इसके बाद किसी तरह से मेरे भाई ने गाडी लेकर आगे बढ़ना चाहा ये लोग वहाँ पर भी घेरकर मारपीट करने लगे। यह कि घटना के सम्बन्ध में प्रशान्त कुमार अपने चचेरी बहन को लेकर थाना दुर्गागंज में गया किन्तु उसकी रिपोर्ट वहाँ नही लिखी गयी इसी बीच सरायममरेज की पुलिस 112 नम्बर की आयी और दोनो पक्षो को थाने पर ले जाकर पूछताछ किया तो उसने कहा कि तुम लोग दुर्गागंज थाने पर जाओ हम लोग फिर दुबारा दुर्गागंज थाने नहीं गये और अपने घर पर आये क्योकि मेरे यहाँ शादी थी। यह कि 7–8 दिन के बाद पुलिस दुर्गागंज की हम लोगो के यहाँ आयी तब हम लोगो को इस घटना की जानकारी यह हुई कि विनोद कुमार गौतम हम लोगो के खिलाफ कोई प्रार्थनापत्र दिया है घटना की जानकारी होने पर न्यायालय से पता किया तो पता चला कि मेरे गाँव के 10–12 लोगो को मुल्जिम बनाया गया है। यह कि प्रार्थीगण घटना में शामिल सरीक नहीं था गाँव के कुछ लोगो के साजिश में होकर वादी मुकदमा हम प्रार्थीगण का नाम फर्जी तरीके से भर दिया गया तो प्रार्थीगण ने न्यायालय से पक्की नकल लेकर माननीय उच्च न्यायालय में गया जहाँ से विवेचना तक हम प्रार्थीगण को स्टे मिला। यह कि दौरान विवेचना चार्जशीट प्राप्त होने के बाद प्रार्थीगण को कोई नोटिस सम्मन नही मिला था। यह कि वादी मुकदमा द्वारा तहरीर में मनगढ़न्त अपने मन से और दुश्मनान की साजिश मे होकर 13 लोगो का नाम लिखाया है। यह कि न तो प्रार्थीगण के पास से कोई मोटरसाईकिल बरामद नहीं हुई है और न ही कोई मोबाईल बरामद है और न ही हम प्रार्थीगण ने किसी को मारा पीटा है। झगड़ा के समय काफी लोग इकट्ठा हुये थे और विवेचक द्वारा घटना वाले स्थान से किसी भी साक्षी का बयान नही लिया है जो भी विवेचक ने साक्ष्य इकटठा किया है वह वादी मुकदमा के परिवार के लोगो का ही लिया है। विनोद कुमार न तो हम लोगो को ईट पत्थर ही चलाया था और न ही उनको मारा पीटा था विनोद द्वारा काफी दिनो के बाद साजिश मे होकर मेडिकल कराया है। यह कि प्रार्थीगण सम्मानित व्यक्ति है बाहर मे रहकर रोजी रोटी के सिलसिले मे काम करते है शादी के समय प्रार्थीगण आये थे, किन्तु घटना में प्रार्थीगण शामिल नही थे और न ही उसे चमार सियार शब्दो का गाली दिया है न जान से मारने की धमकी दिया है न अपहरण ही किया है सारी कहानी वादी मुकदमा द्वारा फर्जी व मनगढ़न्त किया गया है। वादी मुकदमा थाना दुर्गागंज को अपनी साजिश में करके यह मुकदमा कायम कराया है। जबकि इस घटना के सम्बन्ध मे जहाँ मारपीट कही जाती है वह पूरेसत्यभामा गाँव मे कही जाती है तो इलाहाबाद जिला के अन्तर्गत आता है इस प्रकार विवेचक द्वारा जो नक्शा बनाया गया है। यह कि विवेचक द्वारा जो नक्शा नजरी बनाया गया है उस नक्शा नजरी में यह स्थान जो संतलाल के टीनशेड के पास है और वादिनी सुनीता देवी जो बलिकरन की लड़की है जो मुकदमा अपराध संख्या 48/2024 दिनांक 26.04.2024 ई० को पंजीकृत हुआ है जो घटना दिनांक 21.04.2024 के बाबत दर्ज करायी गयी है। यह कि नक्शा नजरी जो विवेचक सी०ओ० द्वारा बनाया गया है उसमें राजेन्द्र उर्फ बबऊ का मकान निश्चित रुप से घटनास्थल से काफी दूर है, व विवेचक द्वारा घटनास्थल द्वितीय जहाँ से टैम्पो स्टैण्ड के पास ले जाना कहा गया है वहाँ मकान सुबाष

मौर्य व पक्का मकान सूरज जायसवाल पक्का मकान अशोक सोनकर, पक्का मकान रामकृपाल पाण्डेय व मकान पन्नालाल चौरसिया व महेन्द्र चौरसिया व बनारसी चौरसिया आदि लोगो का मकान है जहाँ से अभियुक्त वादी मुकदमा को ले जाने वाली बात कही गयी है विवेचक द्वारा वहाँ पर कोई साक्षी का बयान अंकित नही किया है न किसी साक्षी ने यह कहा है कि राजेन्द्र प्रसाद उर्फ बउ भी घटनास्थल पर आये थे इस प्रकार हम प्रार्थीगण के विरुद्ध कोई साक्ष्य नही है। साजिशन प्रार्थीगण को मुल्जिम बनाया है। यह कि प्रार्थीगण निर्दोष है और कोई अपराध कारित नहीं किया है। सहअभियुक्तगण की जमानत माननीय न्यायालय द्वारा की जा चुकी है। प्रार्थीगण का कोई आपराधिक इतिहास नही है। यह कि प्रार्थीगण अपनी जमानत मुचलका देने को तैयार है। जमानत मुचलका पर रिहा होने पर जमानत मुचलका का कोई दुरुपयोग नही करेंगे। अतः प्रार्थना है कि प्रार्थीगण को उचित जमानत मुचलका पर रिहा किये जाने की आज्ञा प्रदान किया जावे ताकि न्याय हो।

5. वादी मुकदमा द्वारा जमानत के विरुद्ध प्रति शपथपत्र दाखिल करते हुए यह कथन किया है कि उपरोक्त मुकदमें में शपथकर्ता वादी मुकदमा है तथा मुकदमें के तथ्यों से भली भाँति वाकिफ है। यह कि उपरोक्त मुकदमे के सम्बन्ध में अभियुक्तगण द्वारा माननीय न्यायालय में गलत व झूठा कथानक करते हुए जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके विरुद्ध शपथकर्ता की निम्नलिखित प्रति शपथ पत्र दाखिल किया जा रहा है। यह कि शपथकर्ता अनुसूचित जाति का चमार गरीब व्यक्ति है तथा रोजी रोटी के लिए टैम्पू चलाता है। और उसी से अपना व परिवार वालों का जीवन यापन करता है। यह कि बरवक्त घटना दिनांक 21–4–2024 को समय करीब 1.30 बजे दिन शपथकर्ता बाजार दुर्गागंज तिराहा पर अपनी टैम्पू गाड़ी खड़ी किया था इसी बीच अपराध कारित करने की बदनियती से अभियुक्त उपरोक्त व उनके साथ अन्य अभियुक्तगण एक चार पहिया वाहन जिस पर मानवाधिकार लिखा था उक्त गाड़ी नंबर यू०पी 044 बी एच 7731 से दुर्गागंज तिराहे पर आये और शपधकर्ता को माँ बहन चमार सियार की भद्दी– भद्दी गाली देने लगे, शपथकर्ता ने गाली देने से मना किया तो अभियुक्तगण मुन्ना यादव, सन्तलाल यादव ने ललकारा कि चमार सियार की जाति होकर जुबान लड़ाता है मारो साले को जिस पर चमार सियार की गाली देते हुए सभी अभियुक्तगण शपथकर्ता को लात मुक्का से मारने पीटने लगे शपथकर्ता के चिल्लाने पर अभियुक्तगण शपथकर्ता के मुँह में कपड़ा ठूंस कर घसीटते हुए अपनी गाड़ी में बैठा कर दुर्गागंज पोखरा पर ले गये शपथकर्ता का मोबाईल व आधार कार्ड पैन कार्ड, डी एल व गाड़ी का समस्त कागजात स्वं 4500/– रुपये छीन लिए शपथकर्ता के भाई को मोबाईल से सूचना मिली तो शपथकर्ता के परिजन व भाई ओमप्रकाश व मनोज कुमार व अमन व आदर्श व नागेन्द्र कुमार व सर्वेश कुमार व भागीरथी आदि मौके पर पहुंचे अभियुक्तगण उन्हें भी मारने पीटने लगे और सभी के मोबाईल व एक पल्सर गाड़ी जिसका नम्बर यू०पी० 66 / 9848 है व 6 पीस मोबाईल आदि सामान छीन कर ले लिया और धमकी दिये कि हम लोग मानवाधिकार के अधिकारी है सूचना कहीं दोगे तो हम लोग तुम लोगों को जान से मार कर फेंक देंगे। अभियुक्तगण के मारने पीटने से शपथकर्ता व अन्य को काफी गम्भीर चोटें आयी। जिसके बाबत शपथकर्ता घटना की सूचना थाना दुर्गागंज में दिया किन्तु रिपोर्ट दर्ज न होने पर श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय भदोही को प्रार्थना पत्र दिया जिस पर शपथकर्ता की रिपोर्ट दर्ज हुयी और चोटहिलों का मेडिकल मुआयना व दवा इलाज हुआ । यह कि अभियुक्तगण एक

सातिर किस्म के व्यक्ति है और अपने जमानत प्रार्थना पत्र में बनावटी गलत कथन करते हुए जमानत की याचना किया है। जो कत्तई स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। यह कि अभियुक्तगण की ओर से उनके नाजायज प्रभाव में होकर एक फर्जी मुकदमा थाना दुर्गागंज में अपराध संख्या 48 / 2024 पंजीकृत कराया गया जिसमें मामला झूठा पाये जाने पर पुलिस द्वारा अन्तिम रिपोर्ट लगा दिया गया है। यह कि अभियुक्तगण ने अपने जमानत प्रार्थना पत्र में न्यायालय को भ्रमित करने की मंशा से गलत भ्रामक व बनावटी कथनो का उल्लेख किया है, शपथकर्ता द्वारा सही घटना के सम्बन्ध में उक्त मुकदमा अभियुक्तगण के विरुद्ध कायम कराया गया है। यह कि अभियुक्तगण जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है काफी सातिर किस्म के व्यक्ति है और शपथकर्ता के साथ गम्भीर अपराध कारित किया है और जमानत पाने के अधिकारी नहीं है। यह कि जमानत होने पर अभियुक्तगण अपराध कारित करेंगे और अभी भी जान माल की धमकी दे रहे हैं जिससे शपथकर्ता व परिवार वालों के जान माल का खतरा है। यह कि ऐसी दशा में अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र खारिज करने की कृपा करें।

6. विद्वान् विशेष अभियोजक के द्वारा जमानत का विरोध करते हुए कहा गया कि अभियुक्तगण तथाकथित अपराध की घटना में संलिप्त रहा है। जमानत पर छूटने पर पुनः इसी प्रकार के अपराध में संलिप्त हो जायेगा और जमानत का दुरूपयोग करेगा। अतः जमानत प्रार्थनापत्र खारिज किया जाये।

7. न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता एवं विशेष अभियोजक के तर्को को सुना तथा अभियोजन प्रपत्रों का अवलोकन किया।

8. मैंने आवेदकगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता एवं राज्य की तरफ से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी के तर्कों को सुना एवं केस डायरी, व पत्रावली पर उपलब्ध अन्य अभियोजन प्रपत्रों का अवलोकन किया।

9. प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थीगण / अभियुक्तगण द्वारा दिनांक 20.01.2026 से अंतरिम जमानत पर है और प्रार्थीगण / अभियुक्तगण द्वारा अंतरिम जमानत का दुरुपयोग नहीं किया गया है। थाने की आख्या के अनुसार, प्रस्तुत प्रकरण के अलावा प्रार्थीगण / अभियुक्तगण का कोई आपराधिक इतिहास एवं पूर्व दोषसिद्धि नहीं है। पत्रावली के परिशीलन से यह भी प्रदर्शित होता है कि प्रार्थीगण / अभियुक्तगण पक्ष की ओर से एक प्रथम सूचना रिपोर्ट मुकदमा अपराध संख्या ४८/२०२४, विनोद कुमार गौतम (प्रस्तुत प्रकरण के वादी मुकदमा) के विरुद्ध पंजीकृत कराया गया है। दोनों मुक़दमे में घटना का दिनांक २१/०४/२०२४ दिखाया गया है। उपरोक्त से यह प्रतीत होता है के दोनों ही मुक़दमे क्रॉस–केस है। प्रस्तुत प्रकरण में सह– अभियुक्तगण राजेंद्र प्रसाद यादव उर्फ़ बबऊ यादव व नायब यादव की जमानत इस न्यायालय से हो चुकी है। अतः मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये बिना गुण दोष पर विचार व्यक्त करते हुए अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का आधार पर्याप्त हैं, तदनुसार जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थीगण / अभियुक्तगण बसन्तलाल यादव पुत्र पंचमलाल यादव व संतलाल पुत्र पंचमलाल यादव निवासीगण पूरेसदभामा थाना सरायममरेज जिला प्रयागराज (इलाहाबाद), का जमानत प्रार्थना पत्र सम्बंधित मु०अ०सं० 22 सन 2024, अंतर्गत धारा–147, 364,

323, 504, 506 342,395, 325, 201, भा०दं०वि० व 3 (2) (5) एस०सी०/एस०टी० एक्ट, थाना दुर्गागंज, जिला भदोही, स्वीकार किया जाता है। प्रार्थीगण / अभियुक्तगण प्रत्येक को 1,00,000/– रूपये की दो–दो जमानतें व इसी धनराशि के व्यक्तिगत बन्धपत्र निष्पादित किये जाने पर इस शर्त के साथ जमानत पर रिहा किया जाये।

1. प्रार्थीगण / अभियुक्तगण साक्ष्य/साक्षियों को किसी भी प्रकार से प्रभावित/टेम्पर करने का प्रयत्न भी नहीं करेंगे ।
2. प्रार्थीगण / अभियुक्तगण दौरान विचारण किसी भी आपराधिक गतिविधियों में लिप्त नहीं होंगे और विचारण में सहयोग करेंगे ।
3. प्रार्थीगण / अभियुक्तगण न्यायालय की पूर्वानुमति के बिना देश छोड़कर बाहर नहीं जाएंगे ।
4. प्रार्थीगण / अभियुक्तगण विचारण के दौरान अपने निवास स्थान को परिवर्तित नहीं करेंगे ।

उपरोक्त में से किसी भी शर्त का उल्लंघन पर जमानत का दुरुपयोग माना जाएगा।

दिनांक 09.03.2026

(डॉ० अमित वर्मा)
आई. डी.–यू.पी.2412
विशेष न्यायाधीश, एस.सी./एस.टी.एक्ट
भदोही–ज्ञानपुर।

Digitally signed by Amit Verma
Date: 2026.03.11 16:21:19 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court